

अतिमहत्वपूर्ण / फैक्स

वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक(नाम से),
इलाहाबाद / प्रतापगढ़ / फतेहपुर / कौशाम्बी ।

कृपया आपको सम्बोधित पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या 63/2016 दिनांक 06.11.16 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें जो अपराधियों में गिरफ्तार अभियुक्तों के फिंगरप्रिन्ट के नमूने लिये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धी है।

संलग्न परिपत्र में विस्तार से अंकित है कि अपराध के अनावरण एवं अपराधियों को दिलाने में अंगुली छाप की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनपद स्तर पर मिथ्या भ्रांति है कि मात्र सजायावी में ही या माठन्यायालय के आदेश के उपरान्त ही अपराध में अंगुली छाप लिया जा सकता है। बन्दियों की पहचान का अधिनियम 1920 एवं अंगुली तथा पदछाप नियम संग्रह 1977 में संदेह के आधार पर गिरफ्तार और निवास स्थान तथा पूर्व अपराधिक वृत्तान्त ज्ञात न होना एवं जिन पर एक वर्ष या उससे अधिक की सजायावी का मुकदमा चल रहा हो, ऐसे अपराधियों की पहचान स्थापित करने हेतु उनकी अंगुली छाप तैयार कर अंगुली चिन्ह ब्योरो लखनऊ भेजी जानी चाहिए, जिससे अनजान व्यक्ति की पहचान तथा पूर्व सजायावी की स्थिति में भाठदवी की धारा 75 के अन्तर्गत अधिक दण्ड से दण्डित कराने की स्थिति बनेगी।

बन्दियों की पहचान का अधिनियम 1920 तथा अंगुली तथा पदछाप नियम संग्रह 1977 के पैरा 32 में वर्णित अपराधों के दण्डित अपराधियों की रिकार्डपत्री अभियोजन शाखा के प्रवीण(Proficient) द्वारा 3 प्रतियों में तैयार कर अंगुली चिन्ह ब्योरो लखनऊ भेजी जानी चाहिए।

संलग्न परिपत्र का सावधानी से स्वयं अवलोकन करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को परिपत्र एवं संलग्नकों की छायाप्रतियों उपलब्ध कराते हुए अपराध गोष्ठी तथा अन्य माध्यमों से अवगत कराते हुए जगरूक बनायें। अपराधियों की पहचान अथवा अधिक सजायावी के उद्देश्य से फिंगर प्रिन्ट का भरपूर उपयोग करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि ।

(विजय यादव)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद ।

संख्या: सीओए/एसी-2-परिपत्र-63/2016/4757
दिनांक: इलाहाबाद, नवम्बर 10, 2016

O/C

प्रतिलिपि: वाचक प्रभारी, परिक्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद को एक प्रति संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नकः यथोपरि

NR = 404

जावीद अहमद,
आईपीओएस०



डीजीपरिप्रेत्र संख्या-63/2016
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
1. तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांक: लखनऊ नवम्बर 6, 2016

विषय :- अपराधों में गिरफ्तार अभियुक्तों के फिंगरप्रिन्ट के नमूने लिए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।
प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि अपराधों के अनावरण एवं अपराधियों को सजा दिलाने में अंगुलि छाप (Finger Print) की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यालय स्तर पर समीक्षा से यह अनुभव किया गया कि जनपद स्तर पर अंगुलि छाप की उपयोगिता एवं प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से अपराधियों के विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य विवेचना में सम्मिलित नहीं हो पाने से उनको लाभ प्राप्त हो रहा है तथा कई महत्वपूर्ण घटनाओं के अनावरण में देर लग रही है। अतः आपसे अपेक्षा करते हैं कि जनपद स्तर पर अंगुलि छाप लिये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जाए। जनपद स्तर पर एक यह भी धारणा है कि मात्र सजावटी अपराधियों का ही अंगुलि छाप लिया जा सकता है या माननीय न्यायालय के आदेश के उपरान्त ही अंगुलि छाप लिये जा सकते हैं, यह धारणा सही नहीं है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि बन्दियों की पहचान का अधिनियम 1920 की धारा 4 के अन्तर्गत अंगुलि तथा पदचाप नियम संग्रह के पैरा 26 के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति, जिनको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया हो और उनका निवास स्थान तथा पूर्व अपराधिक वृत्त ज्ञात न हो अथवा जिन पर फौजदारी का मुकदमा चल रहा हो, जो एक वर्ष या उससे अधिक की सजा से दण्डनीय हो, उनकी पहचान स्थापित करने हेतु उनके अंगुलिछाप तैयार कर अंगुलि चिन्ह व्यूरो लखनऊ भेजी जानी चाहिए, जिससे यदि उपरोक्त व्यक्ति को पूर्व में कोई सजा मिल चुकी हो, तो मिलान होने की दशा में उस अनजान व्यक्ति की पहचान स्थापित हो जायेगी तथा साथ ही साथ उस अपराधी को पूर्व में मिली सजा की जानकारी मिलेगी, जो भांदवि की धारा 75 के अन्तर्गत अधिक दण्ड से दण्डित कराने में सहायक होगी।

इसके अतिरिक्त बन्दियों की पहचान का अधिनियम 1920 की धारा 3 व अंगुलि तथा पदचाप नियम संग्रह 1977 के पैरा 32 में वर्णित अपराधों के अन्तर्गत दण्डित अपराधियों की रिकार्ड पत्री जनपदों के अभियोजन शाखा में नियुक्त प्रवीण (Proficient) द्वारा 03 प्रतियों में तैयार कर अंगुलि चिन्ह व्यूरो लखनऊ भेजी जानी चाहिए। इसी प्रकार अंगुलि तथा पदचाप नियम संग्रह 1977 के पैरा 32ख के अन्तर्गत वर्णित अपराध से दण्डित अपराधियों की भी अंगुलि चिन्ह पर्चियां तैयार कर उन पर लाल स्थाही से "एक अंकीय" अंकित कर अंगुलि चिन्ह व्यूरो में रिकार्ड हेतु भेजी जानी चाहिए।

इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 157 के अन्तर्गत अपराधिक घटनास्थल पर विवेचक के निर्देशन में जनपद में नियुक्त फॉल्ड यूनिट की सहायता से चांस अंगुलि चिन्ह लेकर जांच हेतु अंगुलि चिन्ह व्यूरो लखनऊ भेजे जाने चाहिए। यदि विवेचक या जांचकर्ता को ऐसा संदेह हो कि घटना किसी अन्तर्राज्यीय अपराधी द्वारा कारित की गयी है या अपराधी का सम्बन्ध किसी अन्तर्राज्यीय गिरोह से हो सकता है, तो सम्बन्धित राज्यों के अंगुलि चिन्ह व्यूरो को भी ऐसे अंगुलि चिन्ह जांच के लिए भेजे जाने चाहिए। यदि विवेचना के मध्य विवेचक/जांचकर्ता द्वारा घटना से सम्बन्धित अपराधियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो अंगुलि तथा पदचाप नियम संग्रह के पैरा 26 के अनुसार कार्यवाही करते हुए उनकी अंगुलि छाप तैयार कर घटनास्थल से प्राप्त चांस अंगुलि चिन्हों के साथ अंगुलि चिन्ह व्यूरो, लखनऊ में परीक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए।

10 Page
मुल्तान

मुझे आशा है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ कर अपने अधीनस्थों को भी इसे समझायेंगे तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे, जिससे कि अपराधियों को दण्डित करने में सहायता मिले और अभियोजन की दर में बढ़ोत्तरी हो। कृपया अपने जनपद में नियुक्त प्रवीणों की समीक्षा कर ले, यदि रिक्विटियां हो तो अपने पुलिस महानिरीक्षक, जोन के माध्यम से अद्वागत कराएं।

इस सम्बन्ध में आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि निम्न प्रारूप में सूचना अपने पुलिस महानिरीक्षक, जोन को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित करें।

प्रारूप सं० ०१

माठ न्यायालयों द्वारा कितने वादों में सजा सुनाई गई।	माठ न्यायालयों द्वारा कितने अभियुक्तों के विरुद्ध सजा सुनाई गई।	सजा पाए कितने अभियुक्तों की रिकार्ड स्लिप फिंगर प्रिंट घूसे भेजी गई।	शेष आभियुक्तों की संख्या, जिनकी स्लिप नहीं की गई।
1	2	3	4

प्राचीपुस्तक ०२

जनपद में पंजीकृत विशेष अपराधों की संख्या।	अज्ञात अमियुक्तों की संख्या, जिनके अगुलिलाप मिलान हेतु फिंगर प्रिंट ब्यूरो भेजी गई।	घटनास्थल से कितने चारों प्रिन्ट लिये गए	कितने संदिग्ध व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट मिलान हेतु फिंगर प्रिंट ब्यूरो भेजे गए।
1	2	3	4

संलग्नक: उल्लिखित धाराओं के उद्दरण

प्रकाशित
६. ११. १८.
(जावाहिद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक

प्रसारी जनपद

ਚੰਦੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰ

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
 - पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0, लखनऊ।
 - पुलिस महानिदेशाल, रेलवेर्ज, उ0प्र0, लखनऊ।
 - अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
 - पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 / ए0टी0एस0, उ0प्र0, लखनऊ।
 - समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि प्रवीणों की रिक्तियों को सूचना जनपदों से संकलित कर इस मुख्यालय को दिनांक: 15-11-2016 तक उपलब्ध कराएं एवं जनपदों का म्रमण के समय उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करने का कष्ट करें। आपसे यह भी अपेक्षा है कि प्रतिमाह प्राप्त होने वाली उपरोक्त सूचना का अनुश्रवण कर उसमें आवश्यक कार्यवाही करेंगे, जिससे अधिक से अधिक अभियोगों के सफल अनावरण व अभियोजन में अंगुलि चिन्ह का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा सके एवं संकलित सूचना प्रतिमाह निदेशक, फिंगर प्रिंट व्यूरो को उपलब्ध कराएंगे।
 - निदेशक, फिंगर प्रिंट व्यूरो जनरल जोन से प्रतिमाह प्राप्त सूचना की समीक्षा कर वाई जर रही कमियों के सम्बन्ध में जोनवार समीक्षात्मक नोट प्रतिमाह अदलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

IUCN Red List / 210 entries
3. Great Indian Bustard
का अवास क्षेत्र विवरण
Detailed description

2

**Central Government Act
The Identification of Prisoners Act, 1920**

THE IDENTIFICATION OF PRISONERS ACT, 1920

Section 3 of the Act would be particularly useful for these purposes, dealing as it does with the taking of measurements etc. of convicted persons or persons who have been ordered to give security for good behaviour. Here, the section looks to the future.

Measurements so taken may also be useful in cases where there is a suspicion (at the time of taking measurements or other evidence for identification) that the person made to undergo this procedure has had a previous conviction.¹ Here, the section looks to the past.

(b) Secondly, identification may be necessary for the purpose of an investigation into an alleged offence in order to establish the identity of the person arrested with the actual culprit, on the basis of the demonstrative evidence. Ultimately, the material so collected would be tendered as evidence, mainly under section 9 of the Evidence Act. Sections 4 and 5 of the Act of 1920 are primarily concerned with this aspect. Section 7 is also, to some extent, concerned with such identification.

(c) Thirdly, identification may be useful to establish a previous conviction--i.e. identity of the arrested person with a person previously convicted. Section 3 would be useful in this context? Such previous conviction may itself be admissible in evidence either for imposing higher punishment or (in some cases) as a relevant fact or fact in issue.

(d) Finally, identification may be useful for statistical purposes,---for example, measurements of convicted persons may be collected and analysed in order to confirm or reject any theories of anthropological interest that may be put forth in regard to criminals. The Act of 1920 does not directly concern itself with this aspect. But measurements and other material taken under the Act can be used for such purpose also, if necessary.

IV. Scheme of the Act Scheme of the Act-

3.11. Let us now see how the Act seeks to achieve these objectives. The scheme of the Act briefly is this. The first two sections deal with preliminary matters (short title, extent of the Act and definitions). Various species of demonstrative evidence that can be procured form the subject matter of three operative provisions---sections 3, 4, and 5--which confer on the specified authorities power to take such evidence.

3.12. Here the Act employs a dichotomy. It makes a distinction between (i) situations D^{omestic} ~ where the power to take such evidence is given to a police officer (of the prescribed rank), and

(ii) situations where an order of the Magistrate is considered a pre-requisite before taking such evidence. The distinction so made is obviously based on the solicitude of the law for the freedom of the individual even while he is under arrest.

3.13 The operative provisions of the Act are : P1_oviSions8nMys9_ Section 3--Taking of measurements etc. of convicted persons

Section 4—Taking of measurements etc. of non-convicted persons arrested for an offence punishable with rigorous imprisonment for one year or upwards.

उत्तर प्रदेश
अंगुली तथा पद-छाप नियम संग्रह

1977

२६—सभी “अनजान” लक्षितयों, जिन्हें सरदेर में गिरफतार किया जाय या चिन पर छोड़दारी का अनियोग वाले रहा हो, के अंगुली-छाप लिये जायेंगे तथा उन व्यक्तियों के अन्वेषण के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे। इस प्रयोगिक्षण के लिये अंगुली-छाप लेने, हिसासत में लिया हुआ प्रत्येक व्यक्ति, जिसके निवास-स्थान एवं काने वाले लक्षा पूर्वानुसार का पुलिस अनुसंधान से टीक-डोक पत्र नहीं लगा सका, ‘अनजान’ माना जानगा।

उन व्यक्तियों के जो ऐसे अपराधों में गिरफतार किये जायें जिनमें एक या एक से अधिक बर्बादी की कहीं फैल का दंड दिया जा सके, अंगुली छाप लेने का अधिकार पुलिस को है, परन्तु अन्य मामलों में किसी संचिस्ट्रेट की जाना प्राप्त करना अनिवार्य है। Identification of Prisoners Act (१९२० का वृद्धि अधिनियम) का दैरा इस भी देखें।

२२—(क) राज्य तथा केन्द्रीय मंपुली-छाप व्यूरो दस अंकीय अभिलेख, — निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों की चाहे वे बालक हों या युवा, स्त्री हों या पुस्त्र या नपूसक, अंगुली-छाप पर्चियां, राज्य व केन्द्रीय अंगुली-छाप व्यूरो में दस अंकीय स्थायी अभिलेख के लिए लै जायगी।

(१) भारतीय इण्ड संहिता (Indian Penal Code)—

अध्याय ५ (V) सभी व्यक्ति जिन्हें वारा १०८ व ११४ के अन्तर्गत इस पैराग्राफ में वर्णित अपराधों के लिए इण्ड दिया गया हो।

अध्याय ५-क (V-A) वारा १२०-स के अन्तर्गत इस पैराग्राफ में लिखित अपराधों के सम्बन्ध में इण्डनीय षड्यंत्र के लिए।

अध्याय ६ (VI) वारा १२१ से १३२ तक।

अध्याय ६ (IX) वारा १७०।

अध्याय १२ (XII) वारा २३१ से २६३ तक।

अध्याय १६ (XVI) वारा ३०२, ३०४, ३०७, ३०८, ३११, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३२, ३३३, ३३८, ३६३ से ३७३।

अध्याय १७ (XVII) वारा ३७३ से ४२५ तक, ४२७ से ४४० तक और ४४६ से ४६२ तक।

अध्याय १८ (XVIII) वारा ४६५ से ४७७-क तक, ४८९-क, ४८९-स, ४८९-स तथा ४८९-घ।

अध्याय २३ (XXIII) सभी व्यक्ति जिन्हें इस पैराग्राफ में वर्णित सभी अपराधों के प्रयत्न के लिए वारा ५११ में इण्ड दिया गया हो।

अध्याय ५-क तथा १७ (V-A [तथा XVI]) मिरोहबन्दी, उक्ती तथा इण्डनीय तथा षड्यंत्र के मामलों के मूहबिर (approvers)।

(२) दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code)— ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें वारा १०८ और ११० के अन्तर्गत बंच-पत्र भरने के अदेश दिए गए हों।

(३) ऐसे सभी व्यक्ति जिन पर हृषियार, अफीम, बातक कौदियों या शराब के अवैध व्यापारी पा तस्कर (Smugglers) व्यापारी होने का सब्द हो, और जिन्होंने—

जार्मस एकट—धारा १६ व २०

ओपियम एकट—धारा ८

इंडियन ट्रांस एकट—धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७ और १८।

एव साइज एकट—धारा ६०।

म सभा पाई हो।

(४) इंडियन रेलवे एकट, १८८० की एकट सं० ६—ऐसे [सभी व्यक्ति जिन्हें धारा १०२, १२६ और १२८ के अन्तर्गत दंड दिया गया हो।

(५) देलीक्राफ वामस (अनलाइन फ्लेशन) एकट (१८५० की एकट संख्या ७६)—सभी व्यक्ति जिन्हें धारा ५ के अन्तर्गत दंड दिया गया हो।

(६) दि रेलवे प्रापटी (अनलाइन फ्लेशन) एकट (१८६६ की एकट सं० २८)—इस अधिनियम के अन्तर्गत सिद्धदोष समस्त व्यक्ति।

(७) आर्कशियल सिकेट एकट (१८२२ की एकट सं० १६)—धारा ३, ५, ६, ७, ८, ९ और १० में दंडित सभी व्यक्ति।

(८) एव स्प्लोटिव सबस्टेनेज एकट (Explosive Substances Act) (१८०८ की एकट संख्या ६)—धारा ३, ४, ५ और ६ में दंडित सभी व्यक्ति।

(९) फारेनर्स एकट (Foreigners Act) (१८४६ की एकट संख्या ३१)—ऐसे सभी विदेशी, जिनको धारा १४ के अन्तर्गत दंड दिया गया है या धारा ३ के अन्तर्गत देश से बाहर चले जाने की आज्ञा दी गई हो।

(१०) फारेन एक्सचेन्ज रेगुलेशन एकट (Foreign Exchange Regulations Act) (१८४७ की एकट संख्या ७)—ऐसे सभी व्यक्ति जिनको धारा २३ के अन्तर्गत दंड दिया गया हो।

(११) ऐसे सभी पेशेवर (Professionals) अपराधी तथा वे व्यक्ति जिनका आचरण सतरनाक हो तथा जिन्हें किसी भी राज्य के कानून के अन्तर्गत किसी क्षेत्र से बाहर रहने की आज्ञा दी गई हो।

(१२) ऐसे सभी व्यक्तियों को राज्य के विरह विषय सह कायदाही के लिए दंड दिया गया है।

१८ (१३) ऐसे सभी व्यक्तियों किन पर पेशेवर भ्रमणशील अपराधी (professional itinerant criminals) होने का सन्देह हो और जो कुल्यात अपराधी हों तथा जो अपने घर से अनुपस्थित रहने के अन्यतो हों तथा जिनके विषय में पह घारजा हो कि वे अपराध करने के लिए दूसरे राज्यों में आते हों तबा वो प्रिरक्तार किये जा चुके हों अथवा जिनके अंगुली-छाप ले लिये गये हों भले ही वे छोड़ किये गये हों। परन्तु इन्ह से मुक्ति को दशा में उनके अंगुली-छाप का अभिलेख रखने के लिये व्यापारिय से आइडेन्टीफिकेशन अफ प्रिजनर्स एक्ट (Identification of Prisoner Act) (१९२० की एक्ट संख्या ३३) की घारा ७ के अन्तर्गत अनुमति हो सी यदि हो।

• (१४) ऐसे सभी दंडित अविस औ ऊपर लिखी गयी में सो नहीं जाते परन्तु जिनका स्थायी अविलेख रखता बोलनीय समझा जाता है। उन हवालातियों के, जिन पर ऐसे छपरावों के लिये मुकदमे खल रहे हैं। किसब एक वर्ष से कम की कड़ी सजा दी जा सकती है, अंगुली-छाप लेने के विषय में अनुसंधान या मुकदमे के समय ही यह निश्चय कर लेना चाहिये और चिकिट्टट की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये क्योंकि उनको सजा देने या कोई बेने के पश्चात्, अंगुली-छाप लेने का अधिकार नहीं है। (यादा ५, आइडन्टीफिकेशन आण एक्सीजन)।

(१५) किसी भी व्यक्ति जिसके बंगली-झांप दर्शने का आदेश भारत सरकार वा राज्य सरकार आड्डेन्डोफिकेशन आक ग्रिजनर्स एकट (१८२० की एकट संख्या ३३) के अवीन समय-समय पर दिये हों।

(१६) उत्तर समो अधिकारियों के द्वितीयों किसी दूसरे राज्य में सजा हो गई, जिनका निवास इस राज्य में बताया जाता है, भले ही उसका सत्यापन न हुआ हो, इस शर्त के लाये कि उनके अंगुली-छाप १९२० के एकट संस्था ३३ (Identification of Prisoners Act) के अनुसार लिये भये हों तथा जहाँ उक्त एकट (अधिनियम) की घारा ७ के अन्तर्गत अंगुली-छापों के रखने के लिये भैंडिस्ट्रैट को आज्ञा लेना आवश्यक है, ले लो यह हो ।

१७) ऐसे सभी व्यक्ति जिनको किसी भी कानून के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में तलाश हैं जिनके नाम अभिलेख पर वहाँ हैं तथा जिनके अंगुली-डार्प चपलव्य हैं।

(१) राज्य व्यूरो केन्द्रीय अंगुली-छाप व्यूरो की अंगुली-छाप पकड़ का प्रतिक्रिया भेजेगी।

(२) ऐसे सभी भारतीय भागरिक जिनको भारत के बाहर किसी भी अपराध में दबंड दिया गया हो जिसके कारण उनके अंगुली-छाप उन देशों के व्यूरो से प्राप्त हुए हों।

(३) ऐसे सभी अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी तथा फरार व्यक्ति (International criminals and absconders) जिनके अंगुली-छाप भारत के बाहर के देशों से प्राप्त हुए हों।

(४) आगारा, इलाहाबाद, बरेली, फौजाबाद, गोरखपुर, झासी, कालपुर, लखनऊ, बेरल, मुशाबाद और बाराणसी के बारह जिलों के लिये, जहाँ एक्स-प्रूनिटें स्थित हैं, भारतीय रफ्त संहिता को पारम्परे ३८०, ४५४, ४५७ और ४६१ के अंदीन नियन्त्रित अधिकारी के द्वारा व्यक्तियों का अंगुली-छाप अभिलेख लखनऊ के 'एक अंकोय व्यूरो' में रखा जायगा:—

(क) उक्त बारह जिलों के निवासी, जो अपने निवास के जिले से दण्डित किये गये हों।

(ख) अन्य स्थानों के निवासी, जो उक्त बारह जिलों में दण्डित किये गये हों।

(ग) उक्त बारह जिलों के निवासी जो अन्य स्थानों पर दण्डित किये गये हों।

(घ) समस्त बाबरिया तथा चूतपूर्व अपराधी जातियों के अन्य सदस्य जो, इस राज्य के निवासी हैं तथा राज्य में पा राज्य के बाहर कहीं पर भी दण्डित किये गये हों।

सदन्सार उपर्युक्त प्रकार के विद्यों को अंगुली-छाप अभिलेख परियों की दो अतिरिक्त प्रतियाँ (पहली एक अंकोय अभिलेख दौर दूसरी एक-हृस्त-अभिलेख के लिये) जिलों से सम्बद्ध प्रवीणों द्वारा तैयार की जायगे और अभिलेख के लिये एक अंकोय व्यूरो, बैकानिक अनुभाग, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, महानगर, लखनऊ को अपराधित को जायगे। इन दोनों अतिरिक्त अभिलेख परियों में सामने की ओर शीर्ष भाग पर लाल स्थानी से बड़े बद्दरी में 'ए० अ० व्यू०' (एस० बी० बी०) चिन्हित कर दिया जायगा जिससे कि वे उन अभिलेख परियों से भिन्न समझी जा सके, जो इलाहाबाद के अंगुली-छाप व्यूरो में इस अंकोय अभिलेख के नियमित अप्रसारित की जाती हैं।

(३) केन्द्रीय अंगुली-छाप स्टूरो (Central Finger Print Bureau)

एक राजीव अभिलेख—जिस लेख के अन्तर्गत या अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों के अंगुली-छाप जबकी, कार्ड-प्रणाली पर संक्षिप्त छिपको सहित, केन्द्रीय अंगुली-छाप स्टूरो में एक अंकोद्य अभिलेख के लिये रखे जायेंगे :—

(क) बोटर चाहियों के चोर (Auto thieves);

(ख) होटलों में चोरी करने वाले (Hotel thieves);

(ग) दिल देने वाले (Poisoners);

(घ) नोट वाका छिपके बनाने वाले (Forgers of notes and coins);

(ङ) छोड़ (cheats).


टिप्पणी—(१) उपर्युक्त उप प्रेरागक के अन्तर्गत आने वाले मामलों

में, जिनमें अंगुली-छाप अभिलेख के लिये भेजना आवश्यक संभावा जाय, सरकारी सचिव व्यक्ति ले अंगुली-छाप के लिये यह लिखें कि वे वैज्ञानिक रिपोर्ट में (ज) तथा (ग) में से कितने अनुसार अंगुली-छाप को व्यूरो में सुरक्षित रखने अक्षरी उधीरुति के साथ में प्रविधि पर अरने संक्षिप्त हस्ताक्षर बना देने चाहिये।

५. टिप्पणी—(२) अंगुली-छाप का सेवा तथा पर्चिया रखना (आइडेन्टीफिकेशन ऑफ़ प्रिवेट एक्स) (१९२० को ऐसह संख्या ३३) से अनुसारित अधिकार है कि उन व्यक्तियों के जिनको ऐसे अपराधों के लिये गिरफ्तार किया अंगुली-छाप ले और सुरक्षित रखे। अन्य अपराधों में, जिनमें ऐसी सजा व दी या अनुसार नहीं चलाया गया, परन्तु यह उचित समझा जाता है कि उसकी अंगुली-छापों रखने के लिये उपर्युक्त एक्स (अधिनियम) की बारा ४ जौर ७ के अन्तर्गत मंजि-

ट्यून दो स्थीरुति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

टिप्पणी—(३) स्थाय पंचायतों द्वारा बंदित व्यक्तियों के अंगुली-छाप



1